-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केम्प सागर

R. 3157-III/13

पंकज तनय भागवतशरण बोहरे
निवासी रविशंकर वार्ड सागर (म0प्र0) - - - आवेदक

|| विरूद्ध ||

जयप्रकाश तनय पुरूषोत्तम चौबे
निवासी जलंधर तह• जिला सागर
- - - अनावेदक

आवेदनपत्रअंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0सं0 1959

आवेदक यह पुनरीक्षण आवेदन न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के द्वितीय अपील प्रकरण क्र• 504अ/6 वर्ष 12-13 पक्षकार पंकज विरूद्ध जयप्रकाश में पारित आदेश दि• 19•06•2013 से दुखित होकर अन्य आधारों सहित निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, शून्य व प्रभावहीन है।

2- यह कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के अपील प्र0क्र0 27अ/6 वर्ष 11-12 मे पारित आदेश दिनांक 14•1•2013 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22•3•2013 को द्वितीय अपील प्रस्तुत कीथी तथा साथ में धारा 5 समयावधि अधिनियम का आवेदनपत्र, शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया था। आवेदक ने दिनांक 12•3•13 से 21•03•2013 तक बीमार होना आवेदनपत्र व अपने शपथपत्र मे लेख किया था जिसके कारण वह समय सीमा मे अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था। उक्त स्पष्ट कारण समयावधि मे अपील प्रस्तुत न करने का लेख किएजाने के पश्चात भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर कोई निष्कर्ष ना निकाल कर कानूनी त्रुटि की है।

--2/--

R 3157-[illegible]/13 ([illegible])

25-10-16	आवेदक अभि. श्री लक्ष्मी नारायण अपने पक्षका. के साथ उपस्थित। आवेदक अभि. द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते। अतः आवेदक अभि. का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण [illegible] में [illegible] पा. बजावा. किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature]	प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहिए, [signature] लक्ष्मीनारायण 25/10/16 पक्षकार [signature] 25/10/16 निराकृत

B [illegible]